**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1919**

**30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**गुवाहाटी में शहरी बाढ़ शमन हेतु केंद्रीय योजनाएं**

**†1919. श्री गौरव गोगोईः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुवाहाटी को शहरी बाढ़ शमन हेतु किसी केंद्रीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसको शामिल करने हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड क्या हैं;

(ख) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के तहत असम में शहरी जल निकासी और बाढ़ अवसंरचना के लिए कुल केंद्रीय आवंटन कितना है;

(ग) गुवाहाटी में शहरी बाढ़ में योगदान देने वाले आर्द्रभूमि अतिक्रमण से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या पूर्वोत्तर में टियर-2 शहरों के लिए एक समर्पित शहरी बाढ़ शमन निधि विचाराधीन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

**(**क) शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामार्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुवाहाटी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत गुवाहाटी शहर में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के कार्यान्वयन के लिए **200** करोड़ रुपए

अनुमोदित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, शहरी बाढ़ उपशमन के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक दोनों उपायों को शामिल करते हुए **11** परियोजना घटकों को शुरू किया गया है।

**(**ख) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत **2.0** के तहत, राज्यों/यूएलबी को तूफानी वर्षा जल निकासी हेतु परियोजनाओं के माध्यम से सहायता दी जाती है, जिसमें बाढ़ की समस्या को कम करने और समाप्त करने के लिए नालियों/ तूफानी वर्षा जल निकासी नालियों का निर्माण और सुधार करना, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास तथा जलाशय पुनरुद्धार संबंधी परियोजनाएँ शामिल हैं। इस मिशन दिशा-निर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता और कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

अमृत के तहत, असम राज्य द्वारा **15.98** करोड़ रुपये की **13** हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शुरू की गई हैं और इन परियोजनाओं के माध्यम से **13.31** एकड़ पारगम्य हरित स्थान क्षेत्र विकसित किया गया है, जिसमें गुवाहाटी में **5.11** करोड़ रुपये की **3** पार्क परियोजनाएं शामिल हैं, जो **1.47** एकड़ क्षेत्र को कवर करती हैं।

अमृत **2.0** के तहत, लगभग **407.23** एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए **18.48** करोड़ रुपये की **31** जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं के लिए राज्य के प्रस्तावों को अनुमोदन दे दिया गया है, जिसमें गुवाहाटी में **1.05** एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली **1.75** करोड़ रुपये की **01** जलाशय पुनरुद्धार परियोजना शामिल है।

स्मार्ट सिटी मिशन (**SCM)** का उद्देश्य रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, ग्रीनफील्ड विकास तथा पैन-सिटी पहल के माध्यम से क्षेत्र-आधारित विकास दृष्टिकोण अपनाना था, जिसमें शहर के बड़े हिस्सों को शामिल करते हुए स्मार्ट समाधानों का प्रयोग किया जाता है, ताकि एक प्रतिकृति योग्य मॉडल तैयार किया जा सके। **SCM** के तहत शहरों का विकास उन स्मार्ट सिटी प्रस्तावों (**SCPs)** के आधार पर किया गया था, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (**WASH),** स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट एनर्जी, पर्यावरण आदि में प्राप्त हुए, और जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति (**HPSC)** द्वारा स्वीकृत किया गया था। असम में घटक वार विवरण इस प्रकार है:

| क्षेत्र | एससीएम के तहत परियोजनाएं | परियोजनाओं की लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| आर्थिक बुनियादी ढांचा | **7** | **53** |
| स्मार्ट ऊर्जा | **4** | **53** |
| स्मार्ट मोबिलिटी | **3** | **379** |
| जीवंत सार्वजनिक स्थान | **4** | **233** |
| डब्ल्यूएएसएच | **3** | **37** |
| कुल योग | **21** | **755** |

मिशन के शुरूआत से एससीएम के तहत, असम राज्य ने **490** करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता का दावा कर लिया है और इसका उपयोग किया जा चुका है। **31.03.2025** को एससीएम के समापन के साथ, मिशन के तहत किसी भी नए प्रस्ताव पर विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत **10 (**दस) ड्रेन मैनेजमेंट इक्विपमेंट सुपर सकर मशीन की खरीद की गई है और इसे **25.74** लाख रुपए की कुल परियोजना लागत पर गुवाहाटी नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

**(**ग) असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए असम सरकार ने असम शहरी जल निकाय (संरक्षण और परिरक्षण) अधिनियम, **2024** तथा असम शहरी जल निकाय (संरक्षण और परिरक्षण) नियम, **2025** अधिनियमित किए हैं, जो शहरी जल निकायों की पहचान, अधिसूचना, संरक्षण, पुनरुद्धार और सतत प्रबंधन के लिए एक वैधानिक ढाँचा प्रदान करते हैं। इस अधिनियम के अनुसरण में, राज्य सरकार ने गुवाहाटी मास्टर प्लान क्षेत्र के तहत शहरी जल निकायों की अनुसूची अधिसूचित की है, जिसमें वर्तमान में सरुसोला बील, बोरसोला बील, सिलसाको बील, दीपोर बील और बोंडजान के निकट जल निकाय शामिल हैं, जिससे उन्हें अतिक्रमण और अन्य गतिविधियों के विरुद्ध सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गई है जो उनके पारिस्थितिकीय और जल विज्ञानीय कार्यों के लिए हानिकारक हैं।

राज्य सरकार ने आर्द्रभूमि क्षेत्रों, विशेष रूप से सिलसाको बील, से अतिक्रमण हटाने के लिए बेदखली अभियान भी चलाए हैं तथा भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की योजना के तहत **₹237** करोड़ की लागत से "सिलसाको बील का पुनरुद्धार और जैविक उपचार" परियोजना भी शुरू की है, ताकि आर्द्रभूमि का पुनर्स्थापन किया जा सके तथा इसकी बाढ़ नियंत्रण और स्टॉर्म

वाटर धारण क्षमता को बढ़ाया जा सके, जो अन्य बातों के साथ-साथ गुवाहाटी में शहरी बाढ़ को कम करने में योगदान देती है।

(घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) के कार्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकरण है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 2021-26 की अवधि के लिए 7 सर्वाधिक बाढ़ संभावित मेट्रो शहरों में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (UFRMP) के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के तहत 2,500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। यह कार्यक्रम चरण-II तक विस्तारित है, जिसके लिए कुल 2,444.42 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। इस कार्यक्रम का चरण-II (टियर-II शहर) ग्यारह अतिरिक्त शहरों तक विस्तारित है, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र का गुवाहाटी शहर शामिल है।

*****